

Form No. III  
फर्द—अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़

मुकाम

चित्तौड़गढ़

नानालाल

बनाम

भभूतेस वगैराह

किस्मा मुकदमा

राजस्व वाद

नं०

150

सन्

2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.09.2019	<p>वकील श्री हेमन्त गर्ग के मिसल तलबी प्रार्थना पत्र पर पत्रावली सिगहे से तलब की गई। पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता श्री हेमन्त गर्ग हाजिर। प्रकरण के वाद नानालाल उर्फ नानुराम पिता रता बलाई निवासी सौकिया हाजिर। हाजिर अधिवक्ता द्वारा वादी नानुराम की ओर से अधिकार पत्र पेश किया जो शा० पत्रावली रहें। वादी की पहचान अधिवक्ता हेमन्त गर्ग द्वारा की गई। हाजिर अधिवक्ता हेमन्त गर्ग द्वारा जनरल पावर ऑफ अटोनी निरस्तीकरण पत्र दिनांक 17.09.2019 स्टॉम्प कीमती 500/- रुपये का पेश किया जो शा० पत्रावली रहें। हाजिर वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् वाद पत्र कार्यवाही विद्दो पेश किया जो शा० पत्रावली रहें। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र की पुष्टि में स्वयं वादी नानालाल उर्फ नानुराम पिता रता बलाई का शपथ पत्र पेश किया। हाजिर वकील वादी हेमन्त गर्ग द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र बाबत् कार्यवाही विद्दो को एक तरफा सुना गया। मनन किया। वादी द्वारा वादपत्र जरिये पावट ऑफ अटोनी प्रस्तुत किया गया जिसे स्वयं वादी निरस्तीकरण पत्र कीमती स्टॉम्प 500/- रुपये पेश किया जो शा० पत्रावली है। वादी स्वयं अपना वाद पत्र नहीं चलना चाहते है ऐसी स्थिति में वकील वादी के निवेदन को स्वीकार जाता है। वादी का वाद अंतर्गत धारा 188 RTA 1955 विद्दोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



- ह० -  
(विनोद कुमार)  
सहायक कलेक्टर,  
(उपखण्ड अधिकारी),  
चित्तौड़गढ़